[illegible] एस.डी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 05.04.19 को पेश हो। पत्रावली पर 64

05-4-19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। ~~एस.डी. ओ. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है। भ्रमण पर~~ है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 24.4.19 को पेश हो। अभिभाषक संघ फतेहपुर ने कार्य स्थगित कर रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर

24/4/19 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण प्रतिवादीगण उपस्थित। एस.डी. ओ. साहब अन्य कार्य मे व्यस्त है। भ्रमण पर है। मिसल गत आदेशानुसार दिनांक 29/5/19 को पेश हो।

29/5/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 26/06/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर

26/06/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। बइन्तजार बंटवारा प्रस्ताव पत्रावली दिनांक 31/7/19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर, सीकर

26/07/19 पत्रावली वकील वादी द्वारा मिसल तलबी का आवेदन प्रस्तुत करने पर तारीख पेशी में ली गयी। तहसीलदार फतेहपुर से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ। बहस वकुलाय फरीकैन सुनी गयी। उभय पक्ष बंटवारा प्रस्ताव अनुसार सहमत है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पीठासीन अधिकारी का नाम— रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 19/2019

1. श्रीमती रामादेवी आयु 50 वर्ष पत्नि बृजमोहन जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. श्रीमती छोटी देवी आयु 52 वर्ष पत्नि श्रीशिवकुमार जाति जाट निवासी ग्राम कुमास जाटान तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर राजस्थान

   जरिये मुख्तयार बृजमोहन थोरी पुत्र श्रीतेजाराम थोरी जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

वादीगण

बनाम

1. सोहन झुरिया पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मरडाटू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
2. पटवारी हल्का फतेहपुर
3. तहसीलदार फतेहपुर

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा व बंटवारा

उपस्थित अधिवक्ता
श्री दिनेश शर्मा – वादी
श्री धन्नाराम सैनी— प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः—26.07.2019

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 254/2 नया 608 रकबा 2.02है. कस्बा फतेहपुर में अवस्थित है।

उक्त कृषि भूमि में वादी संख्या एक का 0.2693है. भूमि वादी संख्या दो 0.4040है. भूमि तथा प्रतिवादी संख्या एक 0.6773 है. भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है।

वादीगण ने उक्त कृषि भूमि में अपने नाम उक्त कृषि भूमि का खातेदार उद्घोषित करवाने हेतु एक दावा उनवानी श्रीमती रामा देवी आदि बनाम श्रीमती सलभा आदि मुकदमा नम्बर 39/17 न्यायालय ए.डी.ओ. महोदय फतेहपुर में प्रस्तुत किया था जो दावा दिनांक 30.06.2018 को डिकी किया जाकर वादीगण को उक्त कृषि भूमि में 0.6733 है. भूमि का खातेदार उद्घेषित कर दिया गया था तथा उक्त डिकी की पालना में पटवारी हल्का फतेहपुर ने उक्त भूमि का खाता ब हिस्सा बराबर वादीगण संख्या एक 0.2693है0 व वादीगण संख्या 0.4040है.

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

दिनांकित 21.01.2019 बना है निरस्त किये जाने योग्य है तथा वादीगण उक्त भूमि में अपना अपना हिस्सा विक्रय पत्र के अनुसार अर्थात वादी संख्या एक के नाम 0.2693है. भूमि व वादी संख्या दो के नाम 0.4040है. भूमि का खाता उद्घोषित करवाने के अधिकारी है।

उक्त कृषि भूमि मौके पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या एक के संयुक्त कब्जे अधिकार में चली आ रहा है जिसका भविष्य में सम्मिलित रूप से रखा जाना सम्भव नहीं है इसलिए उक्त कृषि भूमि का बंटवारा वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक के मध्य मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार किया जाकर उनका खाता कब्जा लगान पृथक पृथक कायम किया जाना न्यायोचित है।

वादीगण ने उक्त भूमि का खाता अपने नाम उपरोक्त प्रकार संशोधित करने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तथा उक्त भूमि का बंटवारा करने हेतु दिनांक 07.02.2019 को निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण ने उक्त खाते को संशोधित करने व उक्त भूमि का बंटवारा करने से साफ इन्कार कर दिया इसलिए यह दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ।

भूमि खसरा नम्बर 254/2 नया 608 रकबा 2.02है. कस्बा फतेहपुर में वादी संख्या एक का 0.2693है. भूमि वादी संख्या दो 0.4040है. भूमि तथा प्रतिवादी संख्या एक 0.6773 है. भूमि के खातेदार काबिज काश्तकार है तथा इसी प्रकार इस भूमि का खाता अपने नाम बनवाने के अधिकारी है तथा वर्तमान खाता वादीगण को खातेदारी अधिकारों की अपेक्षा प्रभाहिन व शून्य है तथा निरस्त किये जाकर उपरोक्त प्रकार संशोधित किया जावे। बाद बंटवारा उक्त भूमि का खाता कब्जा काश्त वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक के मध्य प्रथक प्रथक कायम किया जाकर इसका लगान प्रथक प्रथक कायम फरमाने की कृपा करें।

मिसल मुर्तिव की जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से श्री धन्नाराम एड0 ने वकालतनामा पेश किया व राजीनामा पेश किया। राजीनामे के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 254/2 नया 608 रकबा 2.02है. कस्बा फतेहपुर में वादी संख्या एक का 0.2693है. भूमि वादी संख्या दो 0.4040है. भूमि तथा प्रतिवादी संख्या एक 0.6773 है. का खातेदार उदघोषित किया गया एवं वर्तमान खाता निरस्त किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 के निवेदन किये जाने पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, फतेहपुर को विभाजन प्रस्ताव हेतु भिजवायी गयी। तहसीलदार, फतेहपुर से जरिये पत्रांक 1911 दिनांक 26.07.19 के विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 सहमत है। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गयी।

हमने पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया। बहस वकुलाय फरीकेन पर मनन किया। वाद वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)
सत्यमेव जयते

रकबा 2.02है. का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :-

सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	छोटी देवी पत्नि शिव कुमार जाति जाट सा. कुमास जाटान (लक्ष्मनगढ़) सीकर खातेदार	608 / 3	0.2452है.	बा.2	0.98
2	रामादेवी पत्नि बृजमोहन जाति जाट सा. कारंगा छोटा खातेदार	608 / 4	0.1636है.	बा.2	0.68
3	सोहन झुरिया पुत्र मुकनाराम जाति जाट सा.मरडाटू बड़ी	608 / 1	0.8172है.	बा.2	3.27
4	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच 65	608 / 2	0.7940है.	गै.मु.सड़क	—

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

(रेनू मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 26.07.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

बज अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास...............रेनू मीणा (आर.ए.एस..)..

1. श्रीमती रामादेवी आयु 50 वर्ष पत्नि बृजमोहन जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राजस्थान
2. श्रीमती छोटी देवी आयु 52 वर्ष पत्नि श्रीशिवकुमार जाति जाट निवासी ग्राम कुमास जाटान तहसील लक्ष्मनगढ़ जिला सीकर राजस्थान

जरिये मुख्तयार बृजमोहन थोरी पुत्र श्रीतेजाराम थोरी जाति जाट निवासी ग्राम कारंगा छोटा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.

वादीगण

बनाम

1. सोहन झुरिया पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी ग्राम मरडाटू बड़ी तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज.
2. पटवारी हल्का फतेहपुर
3. तहसीलदार फतेहपुर

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत उदघोषणा व बंटवारा

मुकद्दमा नं.....19...........................सन्....2019..

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..........मेरे..व हाजिरी...श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट..........................मिनजानिब मुद्दई रूबरू.......श्री धन्नाराम एड0 मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि फतेहपुर की भूमि खसरा नम्बर 254/2 नया 608 रकबा 2.02है. का निम्नानुसार विभाजन किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ख.नं.	रकबा	किस्म	लगान
1	छोटी देवी पत्नि शिव कुमार जाति जाट सा. कुमास जाटान (लक्ष्मनगढ़) सीकर खातेदार	608/3	0.2452है.	बा.2	0.98
2	रामादेवी पत्नि बृजमोहन जाति जाट सा. कारंगा छोटा खातेदार	608/4	0.1636है.	बा.2	0.68
3	सोहन झुरिया पुत्र मुकनाराम जाति जाट सा.मरडाटू बड़ी	608/1	0.8172है.	बा.2	3.27
4	राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएच 65	608/2	0.7940है.	गै.मु.सड़क	—

खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....26......माह ......जुलाई............सन् 2019

...की गई।

दस्तखत..

(रेनू मीणा)

ओहदा.. उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा	4		स्टाम्प अर्जी दावा	—	
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत	—		स्टाम्प वजह सबूत	—	
महन्ताना वकील	—		महन्ताना वकील	—	
खर्चा गवाहान	—		खर्चा गवाहान	—	
फीस कमिश्नर	—		फीस कमिश्नर	—	
बबत इजराय हुक्मनामा	—		बबत इजराय हुक्मनामा	—	
मुतफरिक	—		मुतफरिक	—	
मीजान	5			1	

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हा या नहीं।